किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत जिलों में किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित आवश्यक शर्ते एवं निर्देश

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के तहत् प्रत्येक जिले में विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चो के संबंध में निर्णय लिये जाने हेतु किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया जाना है। बोर्ड में सदस्य के दो पद है, जिसमें से एक पद महिला के लिए आरक्षित है, पदों के लिए आवश्यक शर्तें, निर्देश एवं निर्धारित प्रारूप निम्नानुसार है:–

1/ किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों के लिए अर्हताऐं :–

(i) किशोर न्याय बोर्ड में सदस्य के लिए आवेदन करने वाले अशासकीय व्यक्ति विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक को न्यूनतम आयु पैंतीस वर्ष होगी और पैंसठ वर्ष से अधिक नही होगी।

(ii) किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य हेतु ऐसा अशासकीय व्यक्ति पात्र होगा जिसके पास शिक्षा, स्वास्थ्य या कल्याण कार्यकलापों में बालकों के साथ कार्य करने का कम से कम सात वर्षो का अनुभव हो अथवा जो बाल मनोविज्ञान(child psychology) या मनोचिकित्सा (psychiatry) या समाज विज्ञान(sociology) या विधि क्षेत्र (law)में डिग्री प्राप्त व्यवसायरत व्यक्ति (practicing professional) हो।

2/ किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल :–

(i) बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल नियुक्ति की तारीख से 03 वर्ष से अधिक नही होगा।

(ii) बोर्ड का सदस्य अधिकतम दो कार्यकालों तक नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

3. किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य पद के लिए अपात्रा :–

i मानव अधिकारों या बाल अधिकारों का अतिक्रमण किये जाने का कोई पिछला रिकॉर्ड हो,

ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है और ऐसी दोषसिद्धि को उलटा नहीं गया है या उसे उस अपराध के संबंध में पूर्ण क्षमा प्रदान नहीं की गई है,

ii उसे केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन किसी उपक्रम या निगम की सेवा से हटा दिया गया है या पदच्युत कर दिया गया है,

iii वह कभी बालक दुर्व्यापार या बाल श्रम के नियोजन या किसी अन्य मानव अधिकारों के अतिक्रमण या अनैतिक कार्य में लिप्त रहा है।

iv बोर्ड में रहते हुये दो कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो ।

4/ अन्य आवश्यक शर्तें/मापदण्ड–

- यह विज्ञप्ति शासकीय सेवा के लिए नहीं है।

- बोर्ड के सदस्यों को शासन द्वारा निर्धारित मानदेय का भुगतान किया जायेगा किसी भी प्रकार का अन्य भुगतान या भत्ते की पात्रता नहीं होगी।
- चयन समिति योग्यता, बालकों के साथ कार्य करने के अनुभव और अभ्यर्थी के साथ व्यक्तिगत वार्तालाप के आधार पर अभ्यर्थियों का मूल्यांकन करेगी जिस के संबंध में कोई वाद मान्य नही होगा।
- योग्य अभ्यर्थी निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर आयुक्त, संचालनालय महिला एवं बाल विकास कार्यालय भोपाल में निर्धारित तिथि तक रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते है। निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदन मान्य नहीं किये जावेंगे।
- अभ्यर्थी ऐसे पूर्णकालिक पद का धारक नही होना चाहिए, जो अधिनियम और नियमों के अनुसार बोर्ड के कार्य के लिए व्यक्ति को आवश्यक समय और ध्यान देने की अनुमति न देता हो।
- बोर्ड के सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी बाल देखरेख संस्था से जुड़ा न हो।
- अपने कार्यकाल के दौरान किसी राजनैतिक दल का पदाधिकारी न हो।
- दिवालिया न हो।
- बोर्ड में सदस्य के रूप में चयनित होने के उपरांत निर्धारित प्रशिक्षण करना अनिवार्य है प्रशिक्षण न करने की स्थिति में चयन निरस्त किया जा सकता है।
- चयनित होने पर ज्वाईनिंग से पहले पुलिस चरित्र सत्यापन रिपोर्ट बाल संरक्षण अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी को प्रस्तुत की जाना अनिवार्य होगी, तद्पोरांत ज्वाईनिंग ली जावेगी।

5/ पद हेतु आवेदन प्रक्रिया–

- विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित आवेदन प्रपत्र में ही आवेदन स्वीकार किये जायेगें।
- किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति की शैक्षणिक योग्यता, स्वरूप, अर्हता, अपात्रता की शर्ते आदि पृथक–पृथक होने से किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के आवेदन निर्धारित प्रपत्र में मय दस्तावेज के पृथक–पृथक मान्य होंगे। यदि

आवेदक द्वारा पद हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन नही किया जाता है तो आवेदन निरस्त किया जायेगा जिसके संबंध में कोई वाद,दावा/आपत्ति मान्य नही होगी।

- यदि आवेदक द्वारा एक से अधिक जिले हेतु आवेदन दिया जाता है तो उसके लिए पृथक–पृथक आवेदन किया जाना अनिवार्य होगा। यदि आवेदक द्वारा एक ही आवेदन फार्म में
- पृथक–पृथक जिले हेतु आवेदन किया जाता है तो तो आवेदन निरस्त किया जायेगा जिसके संबंध में कोई वाद,दावा/आपत्ति मान्य नही होगी।
- आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र स्वयं के द्वारा प्रमाणित होने चाहिए तथा समस्त दस्तावेज विधिवत संलग्न होना चाहिये। आवेदन पूर्ण/विधिवत नही होने पर निरस्त कर दिया जावेगा।
- आवेदकों को साक्षात्कार स्थल पर स्वयं के व्यय पर उपस्थित होना होगा।
- विज्ञप्त पदों की समस्त नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अध्याधीन होगी।
- आवेदन संचालक, महिला एवं बाल विकास कार्यालय, विजयाराजे वात्सल्य भवन, 28 ए, अरेरा हिल्स, भोपाल पिन 462011 में कार्यालीन समय मे जमा अथवा पंजीकृत डाक/ स्पीड पोस्ट से दिनांक 03 जून 2026 तक आमंत्रित किये जाते है। ई–मेल के माध्यम से प्राप्त आवेदन मान्य नही होगे । अंतिम तिथि के पश्चात किसी भी माध्यम से प्राप्त आवेदनों को मान्य नही किया जायेगा।

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

संयुक्त संचालक
महिला एवं बाल विकास
मध्यप्रदेश